

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग
मुख्यालय, अनुश्रवण

संसो-लसिमो-C.M- e-dash-05/2020- 1208 (मौ)

/पटना, दिनांक-15/6/2020

प्रेषक,

ई० रवीन्द्र कुमार सिंह,
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय), अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,
लघु सिंचाई प्रमण्डल, आरा।

विषय:-आरा जिलान्तर्गत धनक्षुहा आहर-पईन कार्य में व्याप्त अतिक्रमण मुक्त कराने के सम्बन्ध में।

प्रसंग:-कुमारी विदेहजा सिंह, पति-राजेश कुमार सिंह संवेदक से प्राप्त आवेदन।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के सम्बन्ध में कुमारी विदेहजा सिंह, पति-राजेश कुमार सिंह, मोहनपुर, पुनाईचक, पटना को आपके प्रमण्डलान्तर्गत धनक्षुहा आहर-पईन जीर्णोद्धार कार्य आवंटित किया गया है। श्रीमती सिंह द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त कार्य का योजना स्थल पर ग्रामीणों द्वारा अतिक्रमण किया गया है, जिसे मुक्त कराने हेतु अनुरोध किया है।

प्रासंगिक पत्र की छाया-प्रति संलग्न करते हुए निदेश दिया जाता है कि उक्त योजना की जांच की जाय। यदि योजना सम्भाव्य हो तो इसे अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु अंचलाधिकारी के कार्यालय में Bihar Public Land Encroachment Act के तहत मुकदमा दायर करें।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय), अनुश्रवण,

लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक-1208 (मौ)

/पटना, दिनांक-15/6/2020

प्रतिलिपि-अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई अंचल, पटना/मुख्य अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय), अनुश्रवण,

लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक-1208 (मौ)

/पटना, दिनांक-15/6/2020

प्रतिलिपि-कुमारी विदेहजा सिंह, पति-राजेश कुमार सिंह, मोहनपुर, पुनाईचक, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय), अनुश्रवण,

लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

14/6/20

सेवामें कार्यपालक अभि
 लघु सिंचि प्रमण्डल, आरा
 विषय:- धमशुहे आहर। पहन निर्णोद्वार कार्य के विभाजन
 कराकर अतिक्रमण मुक्त कराने के उद्देश्यसे

महाशय

उपर्युक्त विषय के संबंधमें कृष्णहर्ष विमें कुमारी
 विनेहजा सिंह, पति राजेश कुमार सिंह, मोहनपुर प्रमण्डल
 परना, लघु सिंचि प्रमण्डल आरा, के द्वारा धमशुहे
 आहर, पहन निर्णोद्वार का कार्य आपरित किया गया है
 आहर में मेरे द्वारा कार्य प्रारंभ किया गया है। कार्य करने
 के दो रान ग्रामिणों द्वारा कार्य कले के रोका गया है।
 जिसके कारण आहर पर निर्माण कार्य बंद कर दिया
 गया है। मेरे द्वारा खेत में भी कार्यपालक अभि को मी
 एवं लिखित रूप से विभाजन करने एवम अतिक्रमण मुक्त
 करे हेतु सुचित किया गया है। परंतु अभि विभाजन
 नहीं कराया गया है। जिसकी वजहसे वसतन कर रही है।
 जिसके चलते मैं आर्थिक एवं मानसिक रूप से परभावित हूँ।
 अतः प्रीमान के कानूनी विवेदन कर रहे हूँ, कानूनम
 कराकर अतिक्रमण मुक्त किया जाए ताकि सरकार
 के उक्त महत्वाकांक्षी योजना को स्वभावात् पूर्ण किया जा
 सके, इसके लिए प्रीमान का आभारी रहूँगा।

JMS
 03-06-2020

2202/अ.प्र. वि.प.
 1/6/20

रवि
 27/4
 3/4

घाती सिपि:

2296 (मो)
 04-06-2020

- 1) अधिसूचना अभि लघु सिंचि-आरा, पला के अनुदान के
 के साथ सुचनाएं एवं आकषक कारण हेतु समर्पित।
- 2) मुख्य अभि लघु जल संसाधन विभाग विहार, पला के
 अनुदान के साथ सुचनाएं एवं आकषक कारण हेतु
 समर्पित।
- 3) प्रधान सचिव लघु जल संसाधन विभाग विहार, पला
 के अनुदान के साथ सुचनाएं एवं आकषक कारण हेतु
 समर्पित।

आफिस विहार
 Kumari vide 1/6/20
 4/6/2020

सेवा में

11.5.2020

कार्यपालक अधिकारी

एन.ए.सि.चि.व. प्रम.स.स.स.स.

विषय: अतिरिक्त मुक्त कराने के संबंध में

महोदय

11/05/20

आपके विवेकपूर्ण निर्णय से मैं बहुत ही
आभारी हूँ। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।
आपका कार्य बहुत ही अच्छा है।
है।

आपकी आज्ञाकारी आज्ञा से मैं
विभाजन कराने के अतिरिक्त मुक्त कराने की
विषय में आपके लिए मैं आज्ञाकारी
बहुता हूँ।

आपका विवेकपूर्ण -
Kumaraj vidhyasankar

सेवा में

11.5.2020

कार्यपालक अधिकारी

एच.एच. सिंगर प्रमोशन कार्यालय

विषय: आतिशयता मुक्त कराने के संदर्भ में

महोदय,

11/05/20

सविनय निवेदन है कि मुझे यद्यपि आतिशय परत का कार्य आवंटित हुआ है। जिस पर अतिशय है।

अतः श्रीमानसे मनु निवेदन है कि विभाजन करवाने के आतिशयता मुक्त करने की हया कि जाए इसके लिए श्रीमान का सह हा आभारी रहूंगी

आभार विभाजन -
Kumari Vidhya Singh